2009/49 बनाम VS पीर मो०

4/10/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 24/10/24 को पेश हो।

4/10/24

24/10/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान आफिसर्स उपस्थित। पत्रावली में साक्ष्यवादी हेतु वादी को उपस्थित। पत्रावली में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 6/11/24 को पेश हो।

24/10/24

6/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-वादी आफि. अनुपस्थित। वादी-वादी आफिसर्स को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी-वादी आफिसर्स को न्यायालय में पुनः 1 बार आवाज लगवाई गई परन्तु वादी-वादी आफिसर्स उपस्थित नहीं हुये। समय 5.54 PM हो चुका है परन्तु वादी-वादी आफिसर्स उपस्थित नहीं हुये हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को वादी-वादी आफिसर्स के उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर फाईल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

6/11/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा